उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्याः 1814 / XVII-2/16–01(14)/2008
देहरादूनः दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 21(2)(क)(ख) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 21(2)(क)(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 21. वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद् :–	**नियम 21. वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद् :–**
21(2) कल्याण परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थात :–	21(2) कल्याण परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थात :–
(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) — **अध्यक्ष**	(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) — **अध्यक्ष**
(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित। — **उपाध्यक्ष (तीन)**	(क)(1) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित — **कार्यकारी अध्यक्ष**
	(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित। — **उपाध्यक्ष (चार)**

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

7/17
3364